

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14.01.2021

अन्तर्जनपदीय शातिर चोरों का गिरोह जेवरात, नगदी, अवैध शस्त्र तथा मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13.01.2021 को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम व एसओजी टीम सिद्धार्थनगर को संदिग्ध व्यक्ति / वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में एवं जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर चोरी के सामान के साथ जमुआर नाला पुल पर नेपाल जाने के फिराक में वाहन का इन्तजार कर रहे हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम व एसओजी टीम सिद्धार्थनगर द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर पहुँचकर मुखबीर द्वारा बताये गये व्यक्तियों को घेरकर, समय 20.40 बजे पकड़ लिया गया व नाम, पता पूछा गया तो अपना नाम 1- असलम 2- मोहम्मद रईश 3-- राजाराम उर्फ गोठे 4- राजेश कुमार लोधी बताये। नियमानुसार जामातलाशी लेने पर जेवरात, नगदी, अवैध कट्टा मय कारतूस व प्रतिबंधित नशीली गोली व गाँजा बरामद हुआ। उक्त अभियुक्तों से पूछताछ पर बताये कि यह जेवरात, नगदी थाना सिद्धार्थनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मधुकरपुर में अधिवक्ता के घर से चोरी किये थे व टी0वी0एस0 एजेन्सी मधुकरपुर से चोरी कम्प्यूटर व डी0वी0आर0 में फोटो आने के डर से जलाकर नष्ट करने का प्रयास किये एवं पिठनी बुजुर्ग के चोरी के सामान हैं तथा थाना डेबरूआ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तुलसियापुर, थाना इटवा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा इटवा तथा थाना रुधौली जनपद बस्ती क्षेत्रान्तर्गत चोरी के हैं। हम लोगों का एक साथी अजय ग्राम मधुकरपुर में वकील साहब के घर चोरी का अधिकांश जेवरात को नेपाल बेचने गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त के गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/2021 धारा -8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम असलम, मु0अ0सं0 27/2021 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम रईश, मु0अ0सं0 28/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम राजाराम उर्फ गोठे, मु0अ0सं0 29/2021 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजेश कुमार लोधी पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। चोरी के बरामद जेवरात एवं नगदी के संबंध में संबंधित थानों पर सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही करने हेतु बताया गया।

गिरफ्तार शातिर चोरों / अभियुक्तगण का नाम, पता-

- 1- असलम पुत्र शाह मोहम्मद निवासी खजुरिया थाना व जिला सिद्धार्थनगर।
- 2- मोहम्मद रईश पुत्र मो0 इस्लाम निवासी खजुरिया थाना व जिला सिद्धार्थनगर।
- 3- राजाराम उर्फ गोठे पुत्र स्व0 चन्द्रबली निवासी ग्राम खजुरिया थाना व जिला सिद्धार्थनगर।
- 4- राजेश कुमार लोधी पुत्र स्व0 शिव प्रसाद निवासी बेलसड़ थाना व जिला सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण-

- | | |
|--|---|
| 1- 56500.00 हजार रूपये नगद। | 11- 01 अदद मंगलसूत्र मय लाकेट |
| 2- 01 अदद देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर | 12- 01 अदद मंगल सूत्र का चेन |
| 3- 01 जोड़ी कान का टप्स, | 13- 03 अदद सफेद धातु का सिक्का, |
| 4- 01 अदद अंगूठी | 14- 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु का |
| 5- 03 अदद कान की झुमका | 15- 08 अदद पैर का बिछुवा |
| 6- 01 अदद नाक की कील | 16- 05 जोड़ी पायल सफेद धातु |
| 7- 01 अदद मांगटीका पीली धातु का | 17- डेढ किलो प्रतिबन्धित नाजायज गांजा |
| 8- 01 जोड़ी कान का झुमका | 18- 2400 प्रतिबन्धित नशीली गोली अल्प्राजोलम |
| 9- 01 अदद अंगूठी | 19- कम्प्यूटर DBR के जले हुए अवशेष |
| 10- 01 जोड़ी पीली धातु का कान का सहारा | 20- 01 अदद R.C. पेपर, 01 अदद DL |

अपराध करने का तरीका-

पूतताछ करने पर बताया कि हम लोगों का चोरों का संगठित गिरोह है तथा नेपाल में किराये का मकान लेकर अस्थायी रूप से रहते हैं। सप्ताह में दो-तीन बार सिद्धार्थनगर व आस पास के जिलों में पैदल घुम-घुमकर चोरी करते हैं। हमलोग रात में पुआल या भूसा में छिपकर सो जाते हैं तथा रात्रि होने पर बन्द घरों में ताला तोड़ कर चोरी कर लेते हैं। चोरी का सामान ज्यादातर नेपाल में बेचते हैं। सिद्धार्थनगर में राजराम उर्फ गोठे द्वारा सोना-चाँदी व अन्य सामान बेचा जाता है।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1- प्र0नि0 श्री राधेश्याम राय , थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- उ0नि0 श्री पंकज पाण्डेय प्रभारी एसओजी सिद्धार्थनगर।
- 3- उ0नि0 श्री अजय सिंह, थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4-उ0नि0 श्री चन्दन , थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5- मुख्य आरक्षी राजीव शुक्ला, एसओजी टीम सिद्धार्थनगर।
- 6- मुख्य आरक्षी आनन्द प्रकाश यादव, एसओजी टीम सिद्धार्थनगर।
- 7- मुख्य आरक्षी विरेन्द्र तिवारी, एसओजी टीम सिद्धार्थनगर।
- 8-आरक्षी विवेक मिश्र, सर्विलांस टीम सिद्धार्थनगर।
- 9- आरक्षी अवनीश सिंह, एसओजी टीम सिद्धार्थनगर।
- 10- आरक्षी पवन तिवारी, एसओजी टीम सिद्धार्थनगर।
- 11- आरक्षी मृत्युंजय कुशवाहा, एसओजी टीम सिद्धार्थनगर।
- 12- आरक्षी अखिलेश यादव एसओजी टीम सिद्धार्थनगर।
- 13- आरक्षी मंजीत सिंह थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 14- आरक्षी रामप्रवेश यादव, थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

01-असलम पुत्र शाह मोहम्मद का आपराधिक इतिहास -

- | | |
|--|--|
| 1-मु0अ0सं0-1736/17 धारा- 457,380,411 भादवि | 11-मु0अ0सं0- 16/20 धारा – 8/21 एनडीपीएस एक्ट |
| 2-मु0अ0सं0-04/18 धारा- 457,380,411 भादवि | 12-मु0अ0सं0-341/2020 धारा- 457, 380, 411 भादवि |
| 3-मु0अ0सं0-22/18 धारा- 457,380,411 भादवि | 13-मु0अ0सं0 -18/2021 धारा -457, 380, 411 भादवि |
| 4-मु0अ0सं0-148/19 धारा- 457,380,411/413 भादवि | 14- मु0अ0सं0 -25/2021 धारा- 457, 380, 411 भादवि |
| 5- मु0अ0सं0-166/19 धारा- 457,380,411/413 भादवि | 15 - मु0अ0सं0- 26/21 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट |
| 6-मु0अ0सं0 - 170/19 धारा 41/411/413 भादवि | 16- मु0अ0सं0 – 317/20 धारा-457, 380, 411 भादवि थाना देवरुआ |
| 7-मु0अ0सं0- NIL /19 धारा 3(3) गुण्डा अधि0 | 17- मु0अ0सं0- 252/20 धारा – 453, 380, 511 भादवि थाना इटवा |
| 8-क्र0सं0 -88/19 धारा 110 जी सीआरपीसी | 18- मु0अ0सं0 -201/20 धारा -457, 380 भादवि थाना रूधौली जनपद-बस्ती |
| 9-मु0अ0सं0- 294/19 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर अधिनियम | |
| 10-मु0अ0सं0- 14/2020 धारा -457, 380, 411, 413 भा.द.वि. | |

02-मोहम्मद रईश पुत्र मो0 इस्लाम का आपराधिक इतिहास -

- | | |
|---|--|
| 1-मु0अ0सं0 337/09 धारा- 356, 411 भा.द.वि. इटवा | 11- मु0अ0सं0 276/18 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट |
| 2-मु0अ0सं0 654/09 धारा- 294 भादवि सिद्धार्थनगर | 12- मु0अ0सं0 358/18 धारा- 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट |
| 3-मु0अ0सं0 18/12 धारा- 110 सीआरपीसी सिद्धार्थनगर | 13-मु0अ0सं0-341/2020 धारा- 457, 380, 411 भादवि |
| 4-मु0अ0सं0 606/14 धारा- 379 भादवि सिद्धार्थनगर | 14-मु0अ0सं0 -18/2021 धारा -457, 380, 411 भादवि |
| 5- मु0अ0सं0 566/17 धारा 380, 411 भादवि सिद्धार्थनगर | 15-- मु0अ0सं0 -25/2021 धारा- 457, 380, 411 भादवि |
| 6- मु0अ0सं0 142/18 धारा 457, 380 भा.द.वि. सिद्धार्थनगर | 16 - मु0अ0सं0- 27/21 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट |
| 7- मु0अ0सं0 145/18 धारा 457, 380 भा.द.वि. सिद्धार्थनगर | 17-- मु0अ0सं0 – 317/20 धारा-457, 380, 411 भादवि थाना देवरुआ |
| 8- मु0अ0सं0 150/18 धारा 379 भादवि सिद्धार्थनगर | 18-- मु0अ0सं0- 252/20 धारा – 453, 380, 511 भादवि थाना इटवा |
| 9- मु0अ0सं0 264/18 धारा- 457, 380 भादवि | 19- मु0अ0सं0 -201/20 धारा -457, 380 भादवि थाना रूधौली जनपद-बस्ती |
| 10-- मु0अ0सं0 274/18 धारा- 41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि | |

नोट- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली टीम को 5000/- नगद पुरस्कार दिया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14.01.2021

थाना गोलहौरा मे हुई लूट का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण, लूट की शत-प्रतिशत धनराशि बरामद |

कल दिनांक 13.01.2021 को थाना गोलहौरा अंतर्गत भिटिया चौराहे से वादी मधुर श्याम शर्मा पुत्र विमलेश शर्मा निवासी- मनिकौरा, थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के साथ रुपए 3,92,000/- की लूट की सूचना प्राप्त हुई, प्राप्त सूचना के आधार पर तत्समय अभियोग पंजीकृत कर अभियोग के सफल अनावरण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया | श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी, इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14.01.2021 को श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में बांसी पुलिस टीम द्वारा पूछ-ताछ के क्रम में वादी मुकदमा द्वारा लूट की घटना से इंकार करते हुए बताया गया कि गाड़ी खरीदने के लिए वादी द्वारा स्वयं फर्जी लूट की कहानी गढ़ी गयी थी | लूट की धनराशि के बारे में पूछ-ताछ पर बताया कि उक्त धनराशि को मैंने अपने चचेरे मामा निवासी ग्राम-तिवारीपुर, थाना-गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर के वहां रखा हूँ | वादी के साथ चलकर पुलिस टीम द्वारा शत-प्रतिशत धनराशि बरामद की गयी |

गिरफ्तार शातिर चोर/अभियुक्त का विवरण-

- मधुर श्याम शर्मा पुत्र विमलेश शर्मा निवासी-मनिकौरा, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

बरामदगी का विवरण-

- 3,92000 रु0 नकद धनराशि ।

सराहनीय कार्य दिनांक 14-01-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्नाटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-14-01-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 445 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 315 वाहनों का चालान कर ₹ 3,38,600/-शमन शुल्क वसूल तथा 02 वाहन सीज किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14.01.2021

थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 14.01.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. राकेश कुमार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा 01 नफर अभियुक्त को प्लाईवुड तिराहा के पास से 12 शीशी अवैध नेपाली कर्णाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 012/2021 धारा 60/63 आब.अधि. पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

संजय पुत्र सम्पत्ति निवासी छतहरी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण-

12 शीशी नेपाली कर्णाली शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. राकेश कुमार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. का. सत्येन्द्र यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14.01.2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 14.01.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. रणजय सिंह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा 01 नफर अभियुक्त को प्लाईवुड तिराहा के पास से 15 शीशी अवैध नेपाली कर्णाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 013/2021 धारा 60/63 आब.अधि. पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजेन्द्र प्रसाद गौड़ पुत्र जैसराम गौड़ निवासी रमवापुर तिवारी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. रणजय सिंह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. का. विनय जयसवाल थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

[#siddharthnagpol](#) **थाना गोलहौरा मे हुई लूट का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण, लूट की शत-प्रतिशत धनराशि बरामद |** [@Uppolice](#) [@AdgGkr](#) [@digbasti](#) [@dmsid1](#) [@Cdosid1](#)